बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

–:संकल्प:–

पटना, दिनांक–.....

श्री पंकज कुमार, तत्कालीन प्राचार्य–सह–केन्द्राधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महकार, गया सम्प्रति प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमुई के विरूद्ध अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा जुलाई, 2018 में अनियमितता पायी गयी। श्री कुमार द्वारा परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा संचालन संबंधी व्यवस्थाएँ नहीं की गयी यथा परीक्षार्थियों के बैठने हेतु ससमय न तो सीट प्लान किया गया और न ही परीक्षार्थियों के बैठने हेतु बेंच डेस्क आदि की व्यवस्था की गयी। फलतः परीक्षा विलम्ब से प्रारम्भ हुई तथा परीक्षार्थियों के द्वारा हंगामा आरंभ कर दिया गया। तसंबंधी सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ। प्रायोगिक परीक्षा की जॉब की जाँच में पाया गया कि जॉब गैस कटर से बनाया गया, उसके बाद फाईल का प्रयोग किया गया। उक्त अनियमितता के आलोक में श्री पंकज कुमार के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से आरोप पत्र गठित किया गया एवं विभागीय ज्ञापन–582 दिनांक–08.03.19 द्वारा श्री कुमार को आरोप पत्र सहित सभी साक्ष्यों की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17/19 के अंर्तगत अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आरोप पत्र पर बचाव के लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

2. उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महकार, गया के पत्रांक–285 दिनांक–10.06.19 के माध्यम से लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में आरोपों को निराधार बताते हुये उल्लेख किया गया कि सम्पूर्ण परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त हुई है। साक्ष्य के रूप में उन्होंने खैरियत प्रतिवेदन, उड़नदस्ता एवं जिला प्रशासन, गया के द्वारा दी गई टिप्पणी तथा प्रेक्षक का प्रतिवेदन संलग्न किया गया। समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित सूचना के संबंध में उन्होंने बताया कि समाचार पत्र में औ०प्र० संस्थान, तेतरिया का फोटो प्रकाशित हुआ है, जिसमें छात्र नीचे बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त समाचार पत्र में औ०प्र० संस्थान, महकार का कोई उल्लेख नहीं है। परीक्षा विलम्ब से प्रारम्भ करने के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि विभिन्न आई०टी०आई० के परीक्षार्थियों की सूची रौल लिस्ट से मिलाई जानी थी परन्तु उन्हें दिनांक–23.07.2018 को 8:08 बजे रात्रि में रौल लिस्ट प्राप्त हुआ। बेंच एवं वीक्षण कार्य हेतु सरकारी स्कूल से शिक्षक की व्यवस्था कर दी गयी थी तथा पूरे संस्थान में CCTV कैमरा लगवाया गया था। गैस कटर द्वारा जॉब बनाये जाने के संबंध में कहा गया कि गैस कटर का क्रय औ० प्र० संस्थान, महकार में नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में जॉब बनाना सम्भव नहीं है। गैस कटर से जॉब बनाने का आरोप गलत है। श्री पंकज कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा कि उन्होंने बिना निधि एवं बिना सहयोगी कर्मी के परीक्षा का संचालन कराया है। उन्होने बताया कि उनके विरूद्ध आरोप गलत हैं।

3. श्री पंकज कुमार के उक्त अभिकथन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि खैरियत प्रतिवेदन तथा प्रेक्षक का प्रतिवेदन में परीक्षा का शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त बताया गया है परन्तु इससे श्री पंकज कुमार के विरूद्ध गठित आरोप खंडित नहीं होते हैं। श्री पंकज कुमार द्वारा बताया गया है कि समाचार पत्र दैनिक भास्कर में औ०प्र० संस्थान, तेतरिया का फोटो प्रकाशित हुआ है एवं उसमें महकार का कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि समाचार पत्र की प्रति में प्रकाशित फोटो औ०प्र० संस्थान, तेतरिया का है, परन्तु समाचार पत्र में औ०प्र० संस्थान, तेतरिया के साथ यह भी उल्लेखित किया गया है कि औ०प्र० संस्थान, महकार में भी न तो परीक्षार्थियों को बैठने के लिये बेंच की समुचित व्यवस्था थी और न ही सीट प्लान तैयार था जिसके कारण छात्रों ने हंगामा किया। परीक्षा केन्द्र पर काफी कुव्यवस्था देखने को मिली। इसी प्रकार श्री कुमार द्वारा यह उल्लेख किया

गया कि व्यवहारिक परीक्षा में गैस कटर का प्रयोग नहीं किया गया, परन्तु निदेशालय के जाँचदल के द्वारा पाया गया कि जॉब गैस कटर से बनाया गया एवं उसके बाद फाईल का प्रयोग किया गया तथा परीक्षार्थियों को Average Marking की गई। केन्द्राधीक्षक के रूप में श्री कुमार के लिए आवश्यक था कि वे व्यवाहरिक परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्षों की लगातार निगरानी करते एवं अगर बाह्य परीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को Average Marking की जा रही थी तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थियों द्वारा तैयार किये गये कुछ जॉब का Randomise रूप से भौतिक सत्यापन कर आश्वस्त हो लेना चाहिए था कि बाह्य परीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को Marking सही की जा रही है कि नहीं। इस प्रकार श्री कुमार के विरूद्ध अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा जुलाई, 2018 में परीक्षा केन्द्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महकार, गया में अनियमितता के आरोप प्रमाणित पाया गया। फलस्वरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री पकंज कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशाधित नियमावली, 2007 के नियम 14(i) के आलोक में आरोप वर्ष के लिए निंदन एवं 14(V) के आलोक में असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोके जाने का लघु दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6/श्रम वि0 आ0 (01)–33/2018 श्र0सं0–2551, दिनांक–11.11.2019 द्वारा श्री पंकज कुमार, तत्कालीन प्राचार्य–सह–केन्द्राधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महकार, गया सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नवांदा के विरूद्ध आरोप वर्ष के लिए निंदन तथा असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोके जाने का लघु दण्ड अधिरोपित किया गया।

4. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा में पाया गया था कि इसमें पूर्व के तथ्यों को ही दोहराया गया है, कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोप खंडित हो सकें। अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6/श्रम वि0 आ0 (01)–33/2018 श्र0सं0–1749, दिनांक–06.09.2021 द्वारा श्री कुमार से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया।

5. उक्त आदेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका C.W.J.C. No-17870/2021 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक–01.09.2026 को आदेश पारित किया गया, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैः–

In view of the aforesaid facts, underlying issues, and settled legal position, the impugned orders cannot be sustained in law. Accoringly, the petition is **allowed**.

The Departmental Charge Memo No. 582 dated 08-03-2019, the Punishment Order Memo No. 2551 dated 11-11-2019, and the Review Rejection Order Memo No. 1749 dated 06-09-2021 are hereby **quashed**. The respondents are directed to restore all service benefits to the petitioner and release the arrears of salary along with withheld increments within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this judgment.

6. माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न करते हुए याचिकाकर्त्ता द्वारा न्यायादेश के आलोक में आरोप मुक्त करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। माननीय न्यायलय के आदेश की समीक्षा किया गया एवं पाया गया है कि **माननीय न्यायालय द्वारा** न्यूज पेपर में छपी रिपोर्ट को आरोप पत्र का आधार बनाने एवं आरोप पत्र में किसी साक्षी का नाम अंकित नही होने के कारण कई न्याय निर्णयों का उदाहरण देते हुए Unproved news report तथा Fair inquiry को नजरअंदाज करने के कारण ज्ञापन–582 दिनांक–08.03.19 द्वारा गठित आरोप पत्र, संकल्प–2551, दिनांक–11.11.2019 द्वारा अधिरोपित दंड एवं आदेश ज्ञापांक–1749, दिनांक–06.09.2021 द्वारा अस्वीकृत किये गए पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को निरस्त किया गया है।

7. मामले से संबंधित सभी अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि आरोप पत्र का आधार मात्र समाचार में छपी रिपोर्ट को बनाया गया है। प्रैक्टिकल में औसत मार्किंग के आरोप को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लगाये गये आरोप के लिए कोई विभागीय जाँच नहीं कराई गई थी अतएव आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कोई विभागीय प्रतिवेदन उपलब्ध नही है। परीक्षा आयोजित करने वाले किसी प्राधिकार द्वारा आरोपों के समर्थन में समर्पित कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नही है। समाचार पत्र में छपी खबर पर विभाग को आंतरिक जांच करा कर आरोप पत्र गठित किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त आरोप पत्र में साक्षी का नाम अंकित नहीं किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रूप सिंह नेगी के मामले में पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि साक्षी विहिन कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

8. अतएव माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No-17870/2021 में दिनांक–01.09.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री पंकज कुमार, तत्कालीन प्राचार्य–सह–केन्द्राधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महकार, गया सम्प्रति प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमुई के विरूद्ध ज्ञापन–582 दिनांक–08.03.19 द्वारा गठित आरोप पत्र, संकल्प–2551, दिनांक–11.11.2019 द्वारा अधिरोपित दंड एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत आदेश ज्ञापांक–1749, दिनांक–06.09.2021 को निरस्त किया जाता है तथा श्री कुमार के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को वापस लिया जाता है साथ ही सभी देय लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं रोके गए वेतनवृद्धि सहित बकाया वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

9. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(आशुतोष कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–6/श्रम वि0 आ0 (01)–34/2021 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–6/श्रम वि0 आ0 (01)–34/2021 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– महानिदेशक, मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को मात्र अवलोकनार्थ।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–6/श्रम वि0 आ0 (01)–34/2021 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–6/श्रम वि0 आ0 (01)–34/2021 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए राजपत्र की प्रति युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–6/श्रम वि0 आ0 (01)–34/2021 1535 पटना, दिनांक–26/10/2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण), बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव, प्रशाखा–11 (स्थापना शाखा), युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/श्री पंकज कुमार, तत्कालीन प्राचार्य–सह–केन्द्राधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महकार, गया सम्प्रति प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमुई /आई0 टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आज्ञानुसार
26-10-26
सरकार के संयुक्त सचिव।